

बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee – CWC): एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

◆ परिचय

भारत में लाखों बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता-पिता से बिछुड़े हुए हैं, जिनका कोई संरक्षक नहीं है, या जो हिंसा, शोषण, उपेक्षा या आपराधिक माहौल में फँस गए हैं। ऐसे बच्चों को सुरक्षा और देखभाल की विशेष आवश्यकता होती है। इन्हीं बच्चों की सुरक्षा, पुनर्वास और देखभाल सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संसद ने **किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015** के तहत **बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee - CWC)** की स्थापना का प्रावधान किया। CWC एक ऐसी वैधानिक संस्था है जो **उन बच्चों की देखभाल करती है जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता होती है** (Children in Need of Care and Protection - CNCP)। इसका उद्देश्य बच्चों को एक संरक्षित, सुरक्षित और गरिमामय जीवन देना है।

◆ कानूनी आधार और उद्देश्य

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 27 से 30 तक बाल कल्याण समिति के गठन और कार्यों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसके मुख्य उद्देश्य हैं:

- बच्चों के संरक्षण, पुनर्वास और कल्याण को सुनिश्चित करना
- देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और पुनर्वास
- बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना
- संस्थागत और गैर-संस्थागत सेवाओं के माध्यम से देखभाल प्रदान करना

◆ बाल कल्याण समिति का गठन

► संरचना (Composition):

- CWC में कुल **5 सदस्य** होते हैं जिनमें **1 अध्यक्ष** और **4 अन्य सदस्य** शामिल होते हैं
- कम से कम **एक सदस्य महिला** होना अनिवार्य है
- सदस्य **बाल अधिकारों, समाज सेवा, बाल संरक्षण, शिक्षा, बाल चिकित्सा या मनोविज्ञान** के क्षेत्र में कम से कम 7 वर्षों का अनुभव रखने चाहिए
- सभी सदस्यों का चयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है
- सदस्यों का कार्यकाल **3 वर्ष** होता है, और वे एक बार पुनः नियुक्त भी हो सकते हैं

◆ देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे (CNCP)

CWC उन बच्चों से संबंधित है जिन्हें "देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता" है। इन बच्चों में शामिल हो सकते हैं:

- अनाथ बच्चे
- परित्यक्त या लावारिस बच्चे
- शारीरिक या यौन शोषण के शिकार
- भिक्षावृत्ति, बाल श्रम या बाल विवाह से पीड़ित
- आपदा या संघर्ष क्षेत्र से प्रभावित
- मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे
- अपराध के शिकार बच्चे या मानव तस्करी से पीड़ित

◆ बाल कल्याण समिति के प्रमुख कार्य (Functions of CWC)

1. बच्चों की पहचान और मूल्यांकन

- समिति पुलिस, NGO, चाइल्डलाइन, या किसी भी नागरिक द्वारा प्रस्तुत किए गए बच्चों की स्थिति का मूल्यांकन करती है।
- 2. बच्चे को संरक्षण में लेना**
 - समिति यह तय करती है कि बच्चे को कहाँ रखा जाए — शेल्टर होम, बाल गृह, फोस्टर केयर, स्पेशलाइज्ड एजेंसी या गोद लेने की प्रक्रिया में।
- 3. अस्थायी और स्थायी पुनर्वास योजना बनाना**
 - बच्चे की शैक्षिक, स्वास्थ्य, भावनात्मक और सामाजिक ज़रूरतों के अनुसार योजना बनाकर पुनर्वास किया जाता है।
- 4. संस्थाओं की निगरानी**
 - CWC द्वारा देखभाल संस्थानों की नियमित निगरानी की जाती है ताकि वहाँ बच्चों को सुरक्षित और गरिमामय वातावरण मिल सके।
- 5. गोद लेने की प्रक्रिया में निर्णय**
 - CWC ऐसे बच्चों को "गोद लेने के लिए उपयुक्त" घोषित करती है जो परित्यक्त हैं और जिनके माता-पिता उपलब्ध नहीं हैं।
- 6. बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच**
 - यदि किसी संस्था, व्यक्ति या परिवार द्वारा बाल अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, तो समिति आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकती है।
- 7. बच्चे को अपने परिवार में पुनः मिलाना (Restoration)**
 - यदि उपयुक्त हो, तो CWC बच्चे को उसके माता-पिता या रिश्तेदारों को सौंप सकती है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के बाद कि बच्चा वहाँ सुरक्षित रहेगा।

◆ CWC की कार्यप्रणाली (Procedure of CWC)

- 1. बच्चे की प्रस्तुति (Production of Child)**
 - कोई भी व्यक्ति, पुलिस अधिकारी, NGO या संस्था बच्चे को CWC के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है।
- 2. बच्चे की सुनवाई**
 - CWC एक व्यक्तिगत और संवेदनशील तरीके से बच्चे की स्थिति की जांच करती है।
 - बच्चे को उसकी भाषा में, बिना डर के अपनी बात रखने का अवसर दिया जाता है।
- 3. सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट (Social Investigation Report)**
 - CWC एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा बच्चे की पारिवारिक और सामाजिक स्थिति की रिपोर्ट बनवाती है।
 - यह रिपोर्ट पुनर्वास योजना तय करने में मदद करती है।
- 4. देखभाल और संरक्षण का आदेश (Care Order)**
 - रिपोर्ट के आधार पर CWC बच्चे को उपयुक्त स्थान पर रखने का आदेश देती है, जैसे आश्रय गृह या पुनर्वास संस्था।
- 5. नियमित समीक्षा बैठकें**
 - CWC समय-समय पर समीक्षा करती है कि बच्चे के पुनर्वास में क्या प्रगति हुई है।

◆ महत्त्व (Importance of CWC)

- यह संस्था बच्चों को शोषण, उपेक्षा और अन्याय से बचाती है।
- यह राज्य और समाज के बीच एक पुल का कार्य करती है ताकि बच्चों के अधिकारों की रक्षा हो सके।

- अनाथ और असहाय बच्चों को यह समिति एक सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर देती है।
- यह समाज को यह संदेश देती है कि हर बच्चा, चाहे उसका कोई भी सामाजिक, आर्थिक या पारिवारिक पृष्ठभूमि हो — उसे **सम्मान और अवसर** मिलना चाहिए।

◆ व्यावहारिक चुनौतियाँ (Challenges)

1. **संसाधनों की कमी**
 - कई राज्यों में CWC को पर्याप्त बजट और बुनियादी ढांचा नहीं मिल पाता।
2. **कर्मचारियों की कमी और प्रशिक्षण**
 - सामाजिक कार्यकर्ताओं और मनोवैज्ञानिकों की कमी के कारण सही मूल्यांकन नहीं हो पाता।
3. **समय पर सुनवाई में देरी**
 - मामलों की अधिकता और स्टाफ की कमी के कारण बच्चों के मामलों में देरी होती है।
4. **संस्थानों की निगरानी में लापरवाही**
 - कई बार देखभाल गृहों की नियमित जांच नहीं होती, जिससे शोषण के मामले सामने आते हैं।
5. **सामाजिक पूर्वाग्रह**
 - समाज में अनाथ या परित्यक्त बच्चों के प्रति संवेदनशीलता की कमी होती है, जिससे उनका पुनर्वास मुश्किल हो जाता है।

◆ निष्कर्ष

बाल कल्याण समिति (CWC) बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनके समग्र विकास की दिशा में एक सशक्त और संवेदनशील संस्था है। यह समिति न केवल बच्चों को न्याय दिलाने का कार्य करती है, बल्कि उन्हें सुरक्षित, आत्मनिर्भर और गरिमामय जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करती है। यदि सरकार, समाज और नागरिक मिलकर इसकी क्षमताओं को मज़बूत करें, तो यह संस्था लाखों बेसहारा बच्चों का जीवन बदल सकती है। बच्चों का कल्याण केवल कानून का विषय नहीं, बल्कि **मानवता और नैतिकता का कर्तव्य** है।